



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 25.01.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक सजा व कुल 1200/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-323/2007 धारा 279,304ए भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त नरेश यादव पुत्र शिवधनी यादव निवासी – मुस्तफाबाद, थाना-चौबेपुर, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक सजा व कुल 1200/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी